

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अका.) 0771-2262540 (कुलसचिव) फ़ैक्स -0771-2262811,2262607

क्रमांक-2178/अका./शोध/2023

रायपुर, दिनांक 30 जून, 2023

- अधिसूचना -

अध्यादेश-45 के प्रावधान अनुसार पी-एच.डी. प्रवेश-परीक्षा 2023 के लिये इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करने निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

1. पी-एच.डी. प्रवेश-परीक्षा 2023 हेतु निम्नलिखित विषयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :-
हिंदी, अंग्रेजी, भाषा-विज्ञान, संस्कृत, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, रक्षा अध्ययन, मनोविज्ञान, गृह-विज्ञान, भूगोल, भौतिकी, रसायन, भू-विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटरसाईंस, प्राणीशास्त्र, बायोसाईंस, माईकोबायोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, वनस्पति शास्त्र, मानव-विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, फार्मसी, मैनेजमेंट, वाणिज्य, विधि, शिक्षा शास्त्र, क्षेत्रीय अध्ययन*।
2. प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 30 जून से 14 जुलाई, 2023 निर्धारित की जाती है। आवेदन पत्र विषय से संबंधित शोध केन्द्र में जमा किया जा सकता है। शोध केन्द्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र डाक के माध्यम से भी संबंधित शोध केन्द्रों को निर्धारित तिथि तक ही प्रेषित किया जा सकता है।
3. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट (www.prsu.ac.in>Administration>Academic>Academic Notification>Ph.D.Entrance-2023) पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रु.500-00 विश्वविद्यालय कोष में ऑन लाईन जमा कर उसकी रसीद संलग्न करना अनिवार्य है अथवा रु.500/- का बैंक ड्राफ्ट (कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय) भी संलग्न कर सकते हैं।
4. अध्यादेश-45 के प्रावधान अनुसार प्रवेश परीक्षा से छूट की पात्रता रखने वाले आवेदकों को उपरोक्त निर्धारित समय पर ही Admission form/Registration form संबंधित शोध केन्द्र में ही जमा करना होगा। संबंधित DRC द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों का यथासमय परीक्षण कर लिया जाये तथा अपात्र होने की स्थिति में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित किया जाये। अध्यादेश-45 विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

*क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अंतर्विषयी शोध कार्य हेतु मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र आदि विषयों के छात्र क्षेत्रीय अध्ययनशाला शोध केन्द्र में इस शर्त के साथ प्रवेश ले सकेंगे कि उनके विषय से संबंधित नियमित प्राध्यापक ही शोध निर्देशक हो सकते हैं। तथा क्षेत्रीय अध्ययनशाला के प्रभारी अधिकारी शोध कार्य को मात्र कोऑर्डिनेट करेंगे। शोधार्थी के पास यह विकल्प होगा कि वह स्नातकोत्तर से संबंधित विषय अथवा क्षेत्रीय अध्ययन किसी एक विषय में पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें।

Contd.....2

नोटिस
लक्ष
03/07/23